ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना

कार्यालय आदेश संख्या– 10 पटना/दिनांकः– 01/10/2021

कार्यालय आदेश

बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प ज्ञापांक–12534, दिनांक–17.09.2018 के द्वारा उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के परिशिष्ट–क के क्रम सं0–30 में बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, ब्राडा के संविदा कर्मी यथा– वित्त प्रबंधक, सहायक वित्त प्रबंधक, सहायक लेखा प्रबंधक एवं लेखापाल के संबंध में कंडिका–क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गयी अनुशंसाओं, उन अनुशंसाओं को छोड़कर, जो पूर्व में लागू है, को लागू रखने संबंधी अनुशंसा की गयी है। तद्नुसार बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, ब्राडा में सेवा नियमावली में पूर्व से प्रावधानित/लागू सेवा शर्त को यथावत रखा जाता है तथा उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं को निम्नवत लागू किया जाता है :–

I. बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, ब्राडा अंतर्गत संविदा पर कार्यरत संविदा कर्मी यथा– वित्त प्रबंधक, सहायक वित्त प्रबंधक, सहायक लेखा प्रबंधक एवं लेखापाल का नियोजन अस्थायी है, तथा उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में सेवानिवृति की आयु अथवा योजना अवधि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए है। फलतः संविदा कर्मियों को प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि विस्तार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

II. संविदा नियोजन की अन्य शर्ते नियोजन के समय निर्गत नियोजन पत्र में अंकित शर्ते यथावत रहेंगी।

2. अवकाश के संबंध में :–

I. **आकस्मिक अवकाश :–** सप्ताह में 05 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 12 दिन एवं सप्ताह में 06 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 16 दिन।

II. **अर्जित अवकाश :–** एक वर्ष में 16 दिन (सेवा के दूसरे वर्ष से लागू) एवं 60 दिन अधिकतम अवकाश संचित किया जा सकता है।

III. **मातृत्व अवकाश :–**

(क) मातृत्व अवकाश की सुविधा ऐसी सभी महिला कर्मियों को उपलब्ध होगी जो पिछले 12 महीनों में 80 दिनों के लिए कार्य कर चुकी हैं। अनुमानित प्रसव तिथि के पहले 08 सप्ताह तक का अवकाश अनुमान्य है एवं शेष 18 सप्ताह शिशु के जन्म के बाद अनुमान्य है।

(ख) दो बच्चों के बाद मात्र 12 सप्ताह के लिए अवकाश अनुमान्य होगा– 06 सप्ताह अनुमानित प्रसव तिथि के पहले एवं 06 सप्ताह शिशु जन्म के बाद।

(ग) तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली या सेरोगेट माँ को भी 12 सप्ताह की छुट्टी देय होगी।

(घ) पालनाघर की उपलब्धता एवं उसके उपयोग के क्रम में महिला कर्मचारी अपने बच्चे की देखभाल के लिए काम के घंटों के दौरान 04 बार अपने बच्चों से मिल सकती है।

1/10/2021.

Scanned with CamScanner

IV. **पितृत्व अवकाश :–** 15 दिन (दो बच्चों तक) देय होगा।

V. **अवैतनिक अवकाश :–** 30 दिन देय होगा।

<u>अवकाश के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण निदेश :–</u>

I. उपर्युक्त क्रमांक– I, II, III, IV एवं V के अवकाशों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

II. अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक है। अनाधिकृत रूप से अवकाश में जाने पर संबंधित कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्यवाई की जा सकती है। जो कर्मी बिना किसी सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाये जाते हैं, उनके पद को रिक्त घोषित किया जाएगा।

3. **सेवा अवधि में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान :–** संविदा पर नियोजित/कार्यरत कर्मियों को सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को एकमुश्त रू0 4,00,000/– का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।

4. **सेवा अभिलेख का संधारण :–** संविदा पर नियोजित/कार्यरत कर्मियों की सेवा अभिलेख का संधारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवा अभिलेख का प्रारूप तैयार कर लागू करने के पश्चात कार्यालयों में भी लागू किया जायेगा।

5. **संविदा कर्मियों के हटाये जाने की स्थिति में अपील का प्रावधान :–** संबंधित संविदा कर्मियों का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है तथापि मनमाने ढ़ंग से किसी संविदा कर्मी को न हटाया जाए इसके लिए सेवा समाप्ति के विरूद्ध अपील का प्रावधान होगा। संविदा कर्मियों की नियुक्ति प्राधिकार के एक स्तर उपर के पदाधिकारी अपीलीय प्राधिकार होंगे।

6. यह आदेश पत्र निर्गत तिथि से लागू होगा।

7. उक्त कार्यालय आदेश पर माननीय मंत्री–सह–अध्यक्ष, ब्राडा का अनुमोदन प्राप्त है।

1/10/2024

(संजय दूबे)
विशेष सचिव–सह–अपर मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी–सह सचिव, ब्राडा

ज्ञापांकः– BRRDA-(HQ)-494/2018 – 2612 पटना/दिनांक– 01/10/2024

प्रतिलिपिः– सभी कार्यपालक अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

1/10/2024

विशेष सचिव–सह–अपर मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी–सह सचिव, ब्राडा

ज्ञापांकः– BRRDA-(HQ)-494/2018 – 2612 पटना/दिनांक– 01/10/2024

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख तथा मु0अ0–1, 2, 3 एवं 4 ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

1/10/2024

विशेष सचिव–सह–अपर मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी–सह सचिव, ब्राडा

Scanned with CamScanner

ज्ञापांकः– BRRDA-(HQ)-494/2018 - 2612 पटना/दिनांक– 01/10/2021

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

1/10/2021

विशेष सचिव–सह–अपर मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी–सह सचिव, ब्राडा

ज्ञापांकः– BRRDA-(HQ)-494/2018 - 2612 पटना/दिनांक– 01/10/2021.

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

1/10/2021.

विशेष सचिव–सह–अपर मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी–सह सचिव, ब्राडा

Scanned with CamScanner